संख्याः— 156 /एक—10—2020—33(36)/2018 टीसी—।

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, इटावा, गोरखपुर, ललितपुर, संत कबीर नगर, रायबरेली, जौनपुर, अयोध्या, बस्ती, उन्नाव, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, आगरा, बलिया, भदोही, कानपुर नगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंण्डा, मीरजापुर, बहराइच, अमेठी, देवरिया, फतेहपुर, सोनभद्र, वाराणसी, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली एवं बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2020

विषयः—वित्तीय वर्ष 2019—20 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0—303/1—11—2016—4(जी)/2016, दिनांकः 27.06.2016 एंव अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू—प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना सं0—393/1—11—2018—4(जी)/ 2016, दिनांकः दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य—जीव द्वव्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वर्ष 2019—20 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **धनराशि रू0 19,80,00,000/— (रूपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख मात्र),** कालम—3 में अंकित धनराशि को कालम—2 में अंकित जनपद के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

क0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि(लाख रू0 में)
1	2	3
1	लखीमपुर खीरी	85.00
2	कानपुर देहात	25.00
3	कौशाम्बी	90.00
4	इटावा	10.00
5	गोरखपुर	50.00
6	ललितपुर	30.00
7	संत कबीर नगर	25.00
8	रायबरेली	50.00
9	जौनपुर	125.00
10	अयोध्या	60.00
11	बस्ती	45.00
12	उन्नाव	60.00
13	प्रयागराज	10.00
14	अम्बेडकर नगर	150.00
15	चित्रकूट	30.00
16	आगरा	5.00
17	बलिया	50.00
18	भदोही	290
19	कानपुर नगर	40.00

20	बाराबंकी	60.00
21	सीतापुर	90.00
22	गोण्डा	25.00
23	मीरजापुर	60.00
24	बहराइच	40.00
25	अमेठी	150.00
26	देवरिया	30.00
27	फतेहपुर	30.00
28	सोनभद्र	70.00
29	वाराणसी	75.00
30	मेरठ	25.00
31	बागपत	15.00
32	गौतमबुद्धनगर	10.00
33	चन्दौली	50.00
34	बुलन्दशहर	20.00
योग		1980.00
		(रूपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर–27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04. 2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक

व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 156(1)/एक–10–2020–33(36)/2018 टीसी–I, दिनांकः 26 मार्च, 2020

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-26/03/2020

प्रेषण संख्या:- 156
आवंटन आदेश संख्या:- 161-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 44500000	500000 44500000
2	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 33000000	1000000 33000000
3	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 58000000	4000000 58000000
4	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 66000000	1000000 66000000
5	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12500000 55500000	12500000 55500000
6	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 42177700	5000000 42177700
7	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 59000000	5000000 59000000
8	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 41500000	4500000 41500000
9	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 46000000	6000000 46000000
10	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 49000000	5000000 49000000
11	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 51500000	8500000 51500000
12	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 55000000	6000000 55000000
13	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 47000000	3000000 47000000
14	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 39500000	2500000 39500000
15	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	29000000 62305000	29000000 62305000
16	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 74000000	15000000 74000000
17	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 37000000	2500000 37000000
18	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 49500000	9000000 49500000
19	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 40000000	3000000 40000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	123000000 950482700	123000000 950482700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह करोड़ तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पंचानवे करोड़ चार लाख बयासी हजार सात सौ

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-26/03/2020

प्रेषण संख्या:- 156
आवंटन आदेश संख्या:- 160-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 44500000	2500000 44500000
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 34000000	2000000 34000000
3	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 57000000	3000000 57000000
4	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 57000000	7500000 57000000
5	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 58000000	6000000 58000000
6	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 45000000	3000000 45000000
7	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 51000000	9000000 51000000
8	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 38500000	2500000 38500000
9	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 41000000	4000000 41000000
10	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 49000000	6000000 49000000
11	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 66830000	7000000 66830000
12	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 33000000	1000000 33000000
13	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 42000000	5000000 42000000
14	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 33500000	1500000 33500000
15	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 62000000	15000000 62000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	75000000 712330000	75000000 712330000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तर करोड़ तेइस लाख तीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन